

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

-: आदेश :-

संख्या :-6/वि0पत्रा0-24-42/2014-

पटना/दिनांक :-

बिहार कार्यपालिका नियमावली के नियम-21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची में महत्वपूर्ण विषय से संबंधित कार्यों के त्वरित निष्पादन एवं सुव्यवस्थित रूप से कार्य संचालन हेतु राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव के अनुमोदनोपरान्त यात्रा-भत्ता विपत्र/रियायती यात्रा भत्ता विपत्र पर प्रतिहस्ताक्षर की शक्ति लेखा शाखा के वरीय प्रभारी को प्रत्यायोजित (delegate) की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

अवर सचिव

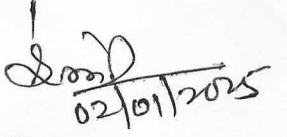
वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-6/वि0पत्रा0-24-42/2014-37

पटना, दिनांक :- 02/11/25

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री (वाणिज्य-कर) के आप्त सचिव/राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) एवं वाणिज्य-कर विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


02/11/2025

अवर सचिव

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।